मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 356
02.02.2026 को उत्तर के लिए

शिरडी लोक सभा क्षेत्र में बाघों का हमला

356. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र के शिरडी लोक सभा क्षेत्र में बाघों के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल पैदा हो गया है;
(ख) यदि हाँ, तो बाघ के हमले के कारण मरने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त क्षेत्र, विशेष रूप से संगमनेर, राहता, श्रीरामपुर और अकोला तालुकों के किसान बाघ के हमले के खतरे के कारण दिन के समय भी अपनी कृषि गतिविधियाँ करने में असमर्थ हैं;
(घ) क्या सरकार ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र में बाघों के हमलों की समस्या के समाधान के लिए और बाघों को पकड़कर उन्हें राज्य के चंद्रपुर जिले के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व या किसी अन्य केंद्रीय टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करके स्थानीय लोगों को बाघों के हमलों से राहत दिलाने के लिए कोई कदम उठाए हैं या उठाने का विचार रखती है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क), (ख) और (ग) राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 और 12 के तहत बनाए गए प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति का प्रबंधन करना है, जो राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाता है। वन्यजीव संघर्ष की स्थिति के समाधान के लिए, मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्षों को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। केंद्र सरकार बाघों के संरक्षण, बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव-वन्यजीव संघर्षों के उपशमन सहित केंद्रीय प्रायोजित योजना-वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास (सीएसएस-आईडीडब्ल्यूएच) की चल रही योजना के बाघ घटक के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अलावा, जैसा कि राज्यों द्वारा बताया गया है, महाराष्ट्र राज्य सहित 2020 से जून 2025 तक बाघ के हमलों के कारण हुई मानव मौतों का विवरण **अनुलग्नक-I** में है।

(घ) और (ङ) संदर्भ में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से संघर्ष से निपटने के लिए निम्नलिखित त्रिस्तरीय रणनीति जारी की है जो इस प्रकार है:

(i) **सामग्री और रसद सहायता:** बाघों के स्रोत क्षेत्रों से बाहर फैलने से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे और सामग्री के संदर्भ में क्षमता प्राप्त करने के लिए बाघ अभयारण्यों को केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से धन सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि हर वर्ष वार्षिक योजना प्रक्रिया (एपीओ) के माध्यम से बाघ अभयारण्यों द्वारा मांगी जाती हैं जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत अनिवार्य बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) में अधिदेशित है। अन्य बातों के अलावा, मानव वन्यजीव संघर्ष आम जनता को जागरुक करने, मार्गदर्शन करने और परामर्श देने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान, विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से सूचना का प्रसार, स्थिरीकरण उपकरण की खरीद, दवाएं, संघर्षों से निपटने के लिए वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसी कार्यविधियों के लिए अनुग्रह राशि और क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर मांगी जाती है।

(ii) **पर्यावासों की मध्यस्थता को प्रतिबंधित करना:** बाघ अभयारण्य में बाघों की वहन क्षमता के आधार पर, एक व्यापक टीसीपी के माध्यम से पर्यावासों की मध्यस्थता को प्रतिबंधित किया जाता है। बाघों की वहन क्षमता के स्तर के मामले में, यह सलाह दी जाती है कि पर्यावास माध्यम सीमित होना चाहिए ताकि बाघों सहित वन्यजीवों का अत्यधिक फैलाव न हो जिससे मानव-पशु संघर्ष कम हो सके। इसके अलावा, बाघ अभयारण्यों के आसपास बफर क्षेत्रों में, पर्यावास मध्यस्थता प्रतिबंधित हैं ताकि वे मुख्य/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास क्षेत्रों के मुकाबले कम-उपयोगी हों, केवल अन्य समृद्ध पर्यावास क्षेत्रों में फैलाव की सुविधा के लिए पर्याप्त रूप से विवेकपूर्ण हों।

(iii) **मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी):** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मानव-पशु संघर्ष से निपटने के लिए निम्नलिखित तीन एसओपी जारी किए हैं, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं:

i. मानव-बाहुल्य वाले भू-खंडों परिदृश्य में बाघों के भटकने के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए।
ii. पशुधन पर बाघों के शिकार से निपटने के लिए।
iii. भू-खंडों स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास की दिशा में सक्रिय प्रबंधन के लिए।

तीन एसओपी में अन्य बातों के अलावा बाघों के फैलाव के प्रबंधन, संघर्ष को कम करने के लिए पशुधन हत्या के प्रबंधन के साथ-साथ बाघों को स्रोत क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का मुद्दा शामिल है जहां बाघों का घनत्व कम है, ताकि समृद्ध स्रोत क्षेत्रों में उत्पन्न संघर्ष न हो।

अनुलग्नक-I

"शिरडी लोक सभा क्षेत्र में बाघों का हमला" के संबंध में दिनांक 02.02.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 356 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 से जून 2025 तक (30.06.2025 तक) बाघ के हमलों से हुई मानव मौतों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (30.06.2025 तक)
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	0	0	4	0
4	बिहार	1	4	9	1	2	0
5	छत्तीसगढ	0	0	0	3	0	0
6	झारखंड	0	0	0	0	0	0
7	कर्नाटक	0	1	1	8	2	0
8	केरल	2	1	1	1	1	0
9	मध्य प्रदेश	11	2	3	10	6	9
10	महाराष्ट्र	3 9	54	80	37	41	27
11	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
12	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0
13	राजस्थान	0	1	0	2	1	0
14	तमिलनाडु	1	3	0	1	0	0
15	तेलंगाना	2	0	0	0	1	0
16	उत्तर प्रदेश	4	11	11	25	10	2
17	उत्तराखंड	0	1	3	0	5	2
18	पश्चिम बंगाल	5	5	1	0	1	0
कुल		**65**	**83**	**109**	**88**	**74**	**40**
